



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 कार्तिक, 1942 (श०)

संख्या- 552 राँची, सोमवार,

2 नवम्बर, 2020 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

27 अक्टूबर, 2020

विषय:- नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या सं०-5343, राँची दिनांक-25.10.2019 द्वारा निर्गत राँची स्मार्ट सिटी के क्षेत्र आधारित विकास (Area Based Development) में भूमि आवंटन हेतु Jharkhand Smart Cities Land and Other Fixed Assets (Utilization, Allotment and Disposal) Rules, 2019 में संशोधन के संबंध में।

संख्या-01/Smart City/Bhu.Aa)2019/Na.ViAa/-2637,-- झारखण्ड सरकार द्वारा राँची स्मार्ट सिटी के क्षेत्र आधारित विकास (Area Based Development) में भूमि आवंटन हेतु "Jharkhand Smart Cities Land and Other Fixed Assets (Utilization, Allotment and Disposal) Rules, 2019" नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक-5343, राँची दिनांक-25.10.2019 के द्वारा निर्गत की गई है।

2. उक्त नियमावली Jharkhand Smart Cities Land and Other Fixed Assets (Utilization, Allotment and Disposal) Rules, 2019 की कंडिका संख्या 7.3 में वर्णित Factors में निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है:-

कंडिका संख्या	Land use Category	प्रावधान	संशोधन किया जाने वाला प्रावधान।	कारण (Justification)
Jharkhand Smart Cities Land and Other Fixed Assets (Utilization, Allotment and Disposal) Rules, 2019 की कंडिका संख्या 7.3	संस्थागत (Institutional)	0.8x	0.5x	पूर्व में Factors की गणना करते समय Non SCM fund, यथा राज्य कोष के द्वारा निर्मित अवसंरचना यथा JUPMI, Convention Centre एवं Urban Civic Tower के लागत मूल्य को भी सम्मिलित किया गया था, वर्तमान में इस लागत मूल्य को हटा दिया गया है।
	आवासीय (Residential)	2.3x	1.6x	
	आवासीय (Residential – EWS)	1.3x	1.0x	
	व्यावसायिक Commercial)	4.6x	3.2x	
	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (Public/Semi Public)	1.3x	1.1x	
	मिश्रित उपयोग (Mix Use Component)	3.3x	2.45x	
	यूटीलिटी (Utility)	1.3x	1.10x	

(X) से तात्पर्य है आधार मूल्य (Base Price)

- उक्त नियमावली की कंडिका 7.2.4 में वर्णित प्रावधान “Loading of opportunity cost for built up area” को व्यवहारिक रूप से गणना करने में हो रही कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कंडिका में विलुप्त किया जाता है।
- संदर्भित प्रस्ताव को राज्य मंत्रीपरिषद की दिनांक-16.10.2020 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-16 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
